कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3125 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, फरवरी, 13 – 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद– सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्ष हेतु दिनांक–01.04.2022 से दिनांक–31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या–2009/81/2/2023–800(14)/2023 दिनांक 04.02.2024
2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–1935/11–सी FP/UP/Trans/140402/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयक प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 04.02.2024 द्वारा मूल लीज डीड की प्रति शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3004/रेनुकूट/15–26 दिनांक 10.02.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा विषयक मामले की दिनांक 16.09.2021 को सम्पादित लीज डीड की 3 (तीन) कलर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रेषित विषयक मामले की दिनांक 16.09.2021 को सम्पादित लीज डीड की 3 (तीन) कलर प्रति एतद् सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यावाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3125 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्रांक–3004/रेनुकूट/15–26 दिनांक 10.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर